

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042021-226504 CG-DL-E-10042021-226504

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1409] No. 1409] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2021

का.आ. 1520(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि नियम, 1945 के नियम 44 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. रघुराम रेड्डी अडिदला को केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद में निम्नलिखित औषधियों के वर्गों के सिवाय, औषधियों के सभी वर्गों के बाबत संपूर्ण भारत के लिए, सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात:—

- 1. सेरा:
- 2. इंजेक्शन के लिए अभिप्रेत सीरम प्रोटीनों का विलयन;
- 3. वैक्सीन (आंत्रेतर और मुख से);
- 4. टॉक्सिन:
- 5. एंटीजन:
- 6. एंटी-टॉक्सिन;
- 7. विसंक्रमित शल्यबन्ध और विसंक्रमित टांके;
- 8. बैक्टेरियोफेग्स:
- 9. पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए एंटी- सेरा;
- 10. पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए वैक्सीन;
- 11. पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए टॉक्साइड्स;
- 12. पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए नैदानिक एंटीजन;
- 13. वी डी आर एल एंटीजन;

2128 GI/2021 (1)

- 14. एच आई वी एंटीबॉडी मुक्त परिक्षण के लिए मानव रक्त और मानव रक्तोत्पाद घटक सहित;
- 15. मानव इम्युनोडेफिशिएंसी विषाणु, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन और हेपाटाइटिस सी विषाणु के लिए रक्त समृहन अभिकर्मक और नैदानिक किटें;
- 16. कण्डोम्स।

[फा. सं.एक्स. 11014/11/2020-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2021

- **S.O. 1520(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with rule 44 of the Drugs Rules, 1945, the Central Government hereby appoints Dr. Raghuram Reddy Adidala at Central Drugs Testing Laboratory, Hyderabad to be the Government Analyst for the whole of India in respect of all classes of drugs, except the classes of drugs mentioned below, namely:—
 - (1) Sera
 - (2) Solution of Serum Proteins intended for injection;
 - (3) Vaccines (parenteral and Oral);
 - (4) Toxins;
 - (5) Antigens;
 - (6) Anti-toxins;
 - (7) Sterilized Surgical Ligature and Sterilized Surgical Sutures;
 - (8) Bacteriophages;
 - (9) Anti-sera for veterinary use;
 - (10) Vaccine for veterinary use;
 - (11) Toxoid for veterinary use;
 - (12) Diagnostic Antigens for veterinary use;
 - (13) VDRL Antigen;
 - (14) Human Blood and Human Blood Products including components, to test for freedom for HIV antibodies;
 - (15) Blood Grouping reagents and diagnostic kits for Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B surface Antigen and Hepatitis C Virus;
 - (16) Condoms.

[F. No. X.11014/11/2020-DR]

DR. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.